-02-

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

दाखिल खारिज रिवीजन वाद संख्या – 72/2023

रेणु देवी बनाम् झारखण्ड राज्य वगै०

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
01/09/23	अपीलार्थी रेणु देवी, पति–श्री कन्हैया प्रसाद गुप्ता, ग्राम–बंगाली टोला, रामगढ़, थाना–रामगढ़, जिला–रामगढ़ द्वारा U/S-16 Of Bihar Tenants Holdings (Maintance Of Record) Act 1973 के तहत भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर दाखिल खारिज अपील (ऑनलाईन) वाद संख्या–51/2022–23 में दिनांक–21.04.2023 को पारित आदेश विरूद्ध रिवीजन दायर किया गया है। रिविजन आवेदन के साथ निम्न न्यायालय में पारित आदेश की सच्चीप्रति संलग्न है। प्रविष्टि के बिन्दु पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान अपीलीर्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में आदेश पारित नियमसंगत नहीं है। उन्होनें बिना मेरी बातों को सुने एवं बिना संलग्न कागजातों के अवलोकन किये आदेश पारित किया है। इसलिए उन्होनें वाद को Admit करने का अनुरोध किया है, जिसे U/S -5 Limitation Act के तहत् कालबाद्ध को क्षांत करते हुए रिवीजन आवेदन Allow किया गया है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के द्वारा पारित आदेश Merit के आधार पर नहीं है। अपीलार्थी के अनुपस्थित रहने के कारण वाद की कार्रवाई समाप्त की गई। इसलिए रिवीजन वाद को पुनः सुनवाई हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में Remand किया जा सकता है। अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में विद्वान सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य के आलोक में उक्त वाद को इस निदेश के साथ Remand किया जाता है कि, अपीलार्थी को पुनः अवसर देते हुए आदेश पारित करें। उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। संचित करें। लेखापित एवं संशोधित Chandan 01/09/23 उपायुक्त, रामगढ़। Chandan 01/09/23 उपायुक्त, रामगढ़।	1371/Rev 20/09/23 C.C. Issued 12/02/24

Digitally signed by Chandan Kumar
Date: 2024.04.03 11:43:25 +05:30
Location: 192.168.0.12